नम्बर व ता
अहकाम ज
हुक्म की त
में जारी

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– प्रकाश चन्द्र चौधरी आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 07/2008

अनवानः–

स्टेट जरिये तहसीलदार टिब्बी।

बनाम

1 किशन लाल पुत्र रामकरण (मृतक)
1/1 मनफूल (मृतक)
1/1/1 संदीप पुत्र मनफूल
1/1/2 सुशील (मृतक पुत्र)
1/1/2/1 स्पर्श पुत्र सुशील जाति विश्नोई सा. बजीतपुरा भोमा तह0 अबोहर पंजाब।
1/2 बनवारी लाल पुत्र किशन लाल जाति विश्नोई सा. शेरेकां हाल बजीतपुरा भोमा तह0 अबोहर पंजाब।
2 रामनारायण पुत्र रामकरण (मृतक)
2/1 नरेन्द्र कुमार पुत्र रामनारायण जाति विश्नोई सा. शेरेकां हाल बजीतपुरा भोमा तह0 अबोहर पंजाब।
3 मामकौरी पत्नी पृथ्वीराज (मृतक)
3/1 सुभाष 3/2 रवि चन्द्र पि. पृथ्वी राज 3/3 राजेन्द्र (मृतक)
3/3/1 विकास जाति विश्नोई सा. बजीतपुरा भोमा तह0 अबोहर पंजाब।
4 चूनीलाल पुत्र जीया राम (मृतक)
4/1 मनफूल पुत्र चूनीलाल जाति विश्नोई सा. शेरेकां हाल बजीतपुरा भोमा तह0 अबोहर पंजाब।
4/2 उदयपाल पुत्र मुरली पुत्र चूनी लाल(मृतक)
4/2/1 प्रवीण कुमार पुत्र उदयपाल जाति विश्नोई सा. शेरेकां हाल बजीतपुरा भोमा तह0 अबोहर पंजाब।
4/3 राजेश पुत्र हंसराज जाति विश्नोई सा. शेरेकां हाल बजीतपुरा भोमा तह0 अबोहर पंजाब।
5 बगडावत पुत्र जीयाराम (मृतक)
5/1 मनोहर पुत्र बगडावत जाति विश्नोई सा. शेरेकां हाल बजीतपुरा भोमा तह0 अबोहर पंजाब।
5/2 रायसाहब पुत्र बगडावत (मृतक)
5/2/1 राकेश 5/2/2 राजेश पि. रायसाहब जाति विश्नोई सा. बजीतपुरा भोमा तह0 अबोहर पंजाब।
5/3 जगदीश पुत्र बगडावत 5/4 ओमप्रकाश पुत्र बगडावत जाति विश्नोई सा. शेरेकां हाल बजीतपुरा भोमा तह0 अबोहर पंजाब।
6 बृजलाल पुत्र जीयाराम (मृतक)
6/1 आत्मा राम पुत्र बृजलाल (मृतक)
6/1/1 राजकमल पुत्र आत्माराम 6/1/2 अनिल पि. आत्माराम जाति विश्नोई सा. वार्ड नं. 11 भगतपुरा रोड संगरिया।
6/2 पुनीत पुत्र ओम प्रकाश जाति विश्नोई सा. शेरेकां हाल बजीतपुरा भोमा तह0 अबोहर पंजाब।
7 बनवारी लाल पुत्र हरीराम (मृतक)
7/1 रणवीर 7/2 अरविन्द्र पि. बनवारी लाल जाति विश्नोई सा. बजीतपुरा भोमा तह0 अबोहर पंजाब।
8 प्रीतम सिंह पुत्र हरीराम (मृतक)

सत्यमेव जयते
Copy - Not Official

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

8/1 प्रमोद 8/2 विनोद पि. प्रीतम सिंह जाति विश्नोई सा. बजीतपुरा भोमा तह0 अबोहर पंजाब।

9 दरबारा सिंह पुत्र हरीराम जाति विश्नोई सा. शेरेकां हाल बजीतपुरा भोमा तह0 अबोहर पंजाब।

9/1 सुशीला पत्नी बलवंत सिंह जाति विश्नोई सा. शेरेकां हाल बजीतपुरा भोमा तह0 अबोहर पंजाब।

10 सरस्वती पत्नी बनराज 11 रामेश्वर लाल 12 कृष्ण कुमार 13 अमरसिंह पि बनराज जाति विश्नोई सा. शेरेकां हाल बजीतपुरा भोमा तह0 अबोहर पंजाब।

14 मुन्नी देवी पत्नी रामचन्द्र 15 सुमन पुत्री रामचंद्र 16 सोमदत्त पुत्र रामचंद्र 17 भगवानदास पुत्र रामचन्द्र जाति विश्नोई सा. शेरेकां ।

18 जगराज सिंह 19 भूप सिंह 20 गुरदेव सिंह पि. गुरबक्श सिंह जाति जटसिख सा. मसानी तह0 टिब्बी।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज0)

प्रकरण संख्या :– 08/2008

अनवान:–

स्टेट जरिये तहसीलदार टिब्बी।

बनाम

1 किशन लाल पुत्र रामकरण (मृतक)

1/1 बनवारी लाल पुत्र किशन लाल जाति विश्नोई सा. बजीतपुरा भोमा तहसील अबोहर पंजाब।

1/2 मनफूल (मृतक)

1/2/1 संदीप पुत्र मनफूल

1/2/2 सुशील (मृतक पुत्र)

1/1/2/1 स्पर्श पुत्र सुशील जाति विश्नोई सा. बजीतपुरा भोमा तह0 अबोहर पंजाब।

1/3 पृथ्वीराज पुत्र किशन लाल (मृतक)

1/3/1 मामकौरी पत्नी पृथ्वीराज (मृतक)

1/3/2 सुभाष 1/3/3 रवि चन्द्र पि. पृथ्वी राज

1/3/4 राजेन्द्र (मृतक)

1/3/4/1 विकास जाति विश्नोई सा. बजीतपुरा भोमा तह0 अबोहर पंजाब।

3 मामकौरी पत्नी पृथ्वीराज (मृतक) के वारिसान अप्रार्थी सं. 1/3/2 से 1/3/4 हैं।

4 रामरतन 5 हेतराम 6 ओमप्रकाश 7 हंसराज 8 राजाराम पि. चून्नी राम जाति विश्नोई सा. शेरेंका तह0 टिब्बी।

9 गुरमीत सिंह, जगरूप सिंह पि. गुरदेव सिंह जाति जटसिख सा. कमरानी तह0 टिब्बी।

10 भूपसिंह, सत्यनारायण , कृष्णकुमार पि0 ख्यालीराम , शांति, ब्रहमा, विमला पुत्रीयां ख्यालीराम जाति विश्नोई सा. शेरेकां तह. टिब्बी।

प्रकरण संख्या :– 20/2008

अनवान:–

स्टेट जरिये तहसीलदार टिब्बी।

बनाम

1 किशन लाल पुत्र रामकरण (मृतक)

1/1 मनफूल (मृतक)

1/1/1 संदीप पुत्र मनफूल

1/1/2 सुशील (मृतक पुत्र)

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

1/1/2/1 स्पर्श पुत्र सुशील जाति विश्नोई सा. बजीतपुरा भोमा तह0 अबोहर पंजाब।

1/2 बनवारी लाल पुत्र किशन लाल जाति विश्नोई सा. शेरेकां हाल बजीतपुरा भोमा तह0 अबोहर पंजाब।

2 रामनारायण पुत्र रामकरण (मृतक)

2/1 नरेन्द्र कुमार पुत्र रामनारायण जाति विश्नोई सा. शेरेकां हाल बजीतपुरा भोमा तह0 अबोहर पंजाब।

3 मामकौरी पत्नी पृथ्वीराज (मृतक)

3/1 सुभाष 3/2 रवि चन्द्र पि. पृथ्वी राज 3/3 राजेन्द्र (मृतक)

3/3/1 विकास जाति विश्नोई सा. बजीतपुरा भोमा तह0 अबोहर पंजाब।

4 चूनीलाल पुत्र जीया राम (मृतक)

4/1 मनफूल पुत्र चूनीलाल जाति विश्नोई सा. शेरेकां हाल बजीतपुरा भोमा तह0 अबोहर पंजाब।

4/2 उदयपाल पुत्र मुरली पुत्र चूनी लाल(मृतक)

4/2/1 प्रवीण कुमार पुत्र उदयपाल जाति विश्नोई सा. शेरेकां हाल बजीतपुरा भोमा तह0 अबोहर पंजाब।

4/3 राजेश पुत्र हंसराज जाति विश्नोई सा. शेरेकां हाल बजीतपुरा भोमा तह0 अबोहर पंजाब।

5 बगडावत पुत्र जीयाराम (मृतक)

5/1 मनोहर पुत्र बगडावत जाति विश्नोई सा. शेरेकां हाल बजीतपुरा भोमा तह0 अबोहर पंजाब।

5/2 रायसाहब पुत्र बगडावत (मृतक)

5/2/1 राकेश 5/2/2 राजेश पि. रायसाहब जाति विश्नोई सा. बजीतपुरा भोमा तह0 अबोहर पंजाब।

5/3 जगदीश पुत्र बगडावत 5/4 ओमप्रकाश पुत्र बगडावत जाति विश्नोई सा. शेरेकां हाल बजीतपुरा भोमा तह0 अबोहर पंजाब।

6 बृजलाल पुत्र जीयाराम (मृतक)

6/1 आत्मा राम पुत्र बृजलाल (मृतक)

6/1/1 राजकमल पुत्र आत्माराम 6/1/2 अनिल पि. आत्माराभ जाति विश्नोई सा. वार्ड नं. 11 भगतपुरा रोड संगरिया।

6/2 पुनीत पुत्र ओम प्रकाश जाति विश्नोई सा. शेरेकां हाल बजीतपुरा भोमा तह0 अबोहर पंजाब।

7 बनवारी लाल पुत्र हरीराम (मृतक)

7/1 रणवीर 7/2 अरविन्द्र पि. बनवारी लाल जाति विश्नोई सा. बजीतपुरा भोमा तह0 अबोहर पंजाब।

8 प्रीतम सिंह पुत्र हरीराम (मृतक)

8/1 प्रमोद 8/2 विनोद पि. प्रीतम सिंह जाति विश्नोई सा. बजीतपुरा भोमा तह0 अबोहर पंजाब।

9 दरबारा सिंह पुत्र हरीराम जाति विश्नोई सा. शेरेकां हाल बजीतपुरा भोमा तह0 अबोहर पंजाब।

9/1 सुशीला पत्नी बलवंत सिंह जाति विश्नोई सा. शेरेकां हाल बजीतपुरा भोमा तह0 अबोहर पंजाब।

10 सरस्वती पत्नी बनराज 11 रामेश्वर लाल 12 कृष्ण कुमार 13 अमरसिंह पि बनराज जाति विश्नोई सा. शेरेकां हाल बजीतपुरा भोमा तह0 अबोहर पंजाब।

14 मुन्नी देवी पत्नी रामचन्द्र 15 सुमन पुत्री रामचंद्र 16 सोमदत्त पुत्र रामचंद्र 17 भगवानदास पुत्र रामचन्द्र जाति विश्नोई सा. शेरेकां ।

18 जगराज सिंह 19 भूप सिंह 20 गुरदेव सिंह पि. गुरबक्श सिंह जाति जटसिख सा. मसानी तह0 टिब्बी।

उपस्थितः–

1 श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अभिभाषक।

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

2 श्री शंकर सोनी अभिभाषक अप्रार्थी

3 श्री राजेन्द्र प्रसाद जैन अभिभाषक अप्रार्थी।

4 श्री इन्द्राज गोदारा अभिभाषक अप्रार्थी

5 श्री सुभाष गहलोत अभिभाषक अप्रार्थी

—: निर्णयः—

दिनांकः—11.07.2018

उक्त तीनों रिव्यु प्रार्थना पत्र स्टेट जरिये तहसीलदार टिब्बी द्वारा प्रकरण सं0 29/92 निर्णय दिनांक 02.12.98 के विरूद्ध प्रस्तुत किये गये जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थीगण व उनके पूर्वजों ने न्यायालय उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ में राजस्व वाद सं 63/80 में 147.2 बीघा व वाद सं0 66/80 में 41 बीघा के दायर किये गये । इन दोनों वादों का निर्णय दिनांक 10.4.81 को अप्रार्थीगण के पक्ष में हो चुका है। चूंकि यह वादग्रस्त रकबा गैरदाखिलकारी रकबा था जिसका आवंटन राजस्थान पैंतालीसा क्षेत्र में भूमि आवंटन शर्ते 1970 के अनुसार किया जाना चाहिए था परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा अवैध रूप से घोषणात्मक डिक्री प्राप्त की गयी जिसके विरूद्ध अदालतवाला में एक रैफरेंस सं0 29/92 दायर किया गया जिसका निर्णय भी दिनांक 02.12.98 को इस आधार पर किया गया कि राजस्थान जमींदारी एवं बिस्वेदारी अधिनियम के तहत पारित निर्णय के विरूद्ध रैफरेंस के प्रावधान नहीं है। जबकि उक्त रैफरेंस राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के घोषणात्मक वाद के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 229 में रेफरेंस सुनने के लिए जिला कलक्टर/अपर जिला कलक्टर सक्षम न्यायालय है। इस प्रकार पूर्व में दर्ज रैफरेंस सं0 29/92 को विधि विरूद्ध तरीके से दिनांक 02.12.98 को खारिज किया गया जो कि पुनः खोलने योग्य है।

प्रस्तुत प्रकरणों मे दर्ज रेफरेंस राजस्थान जमींदारी बिस्वेदारी अधिनियम के अर्न्तगत ना तो दर्ज करवाया गया था ना ही उक्त अधिनियम के तहत कोई रिलीफ चाही गयी थी चूंकि अप्रार्थीगण ने गैरदाखिलकारी रकबे को अवैध रूप से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत घोषणात्मक वाद के जरिये अपने नाम करवा ली थी। ऐसी सूरत में उक्त घोषणात्मक वाद के निर्णय दिनांक 10.4.81 के विरूद्ध रेफरेंस दायर करने के विधिक आधार उपलब्ध हैं क्योंकि न्यायालय ने निर्णय दिनांक 10.4.81 पारित करते समय विधि के स्पष्ट प्रावधानों की अवहेलना कर निर्णय पारित किया गया है। गैरदाखिलकारी रकबे को आवंटन के लिए राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के अर्न्तगत पैतालीसा क्षेत्र में आवंटन की शर्ते 1970 विद्यमान है परन्तु अप्रार्थीगण ने उक्त प्रावधानों के विपरीत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अर्न्तगत घोषणात्मक दावा दायर किया जिसके विरूद्ध अदालतवाला में रेफरेंस दायर किया गया जिसे जमीदारी व बिस्वेदारी अधनियम के अर्न्तगत मानकर खारिज करने में भारी भूल की है और गलत रूप से रेफरेंस खारिज किया गया है।

अदालतवाला द्वारा दिनांक 02.12.98 को पारित आदेश प्रारम्भ से ही शून्य होने के कारण प्रार्थी को उक्त आदेश के विरूद्ध रिव्यु प्रा0पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार है तथा यह प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद माना जावे क्योंकि इस संबंधमें राज0उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में यह कहा गया है कि प्रारम्भ से ही शून्य आदेशों की अपील/रिव्यु के लिए कोई मियाद निर्धारित नहीं होती है। अतः रिव्यु प्रार्थी पत्र स्वीकार की जावे व पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 02.12.98 को

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

निरस्त कर रेफरेंस की विधिवत सुनवाई कर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किये जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित आये।

चूंकि तीनों रिव्यू प्रार्थना पत्र एक ही निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत किये गये हैं। इसलिए तीनों प्रार्थना पत्रों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी। राज्य पक्ष की ओर से राजकीय अभिभाषक द्वारा रिव्यू प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया कि रैफरेंस सं0 29/92 निर्णय दिनांक 02.12.98 को गलत ढंग से खारिज किया गया है तथा जमीदारी एवं बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के तहत रैफरेंस किया जा सकता है।

अप्रार्थीगण के अभिभाषकगणों द्वारा बहस में तर्क किया कि जमींदारी एवं बिस्वेदारी अन्मूलन अधिनियम 1959 के तहत रैफरेंस का कोई प्रावधान नहीं है तथा यह एक विशिष्ट विधि है किसी वशिष्ठ विधि में रैफरेंस का प्रावधान नहीं होने के कारण रैफरेंस प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है । अपने तर्को में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1992 पेज 170, आरआरडी 1985 पेज 621 प्रस्तुत किये। अभिभाषक अप्रार्थीगण का यह भी कथन है कि उपजिलाधीश हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय में जमींदारी एवं बिस्वेदारी अन्मूलन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए निर्णय पारित किया गया है एवं उस समय उपजिलाधीश बतौर जिलाधीश की शक्तियां रखते हुए निर्णय किया गया है। ऐसी स्थिति में दिनांक 02.12.98 का आदेश विधि सम्मत है। साथ ही यह भी तर्क किया कि दिनांक 02.12.98 को पारित निर्णय के विरूद्ध रिव्यू प्रा0पत्र दिनांक 27.3.08 को प्रस्तुत किया गया है। जो लगभग 10 वर्षो के बाद प्रस्तुत किया गया है। जिसके कारण प्रा0पत्र मियाद बाहर है। जिसके समर्थन में न्यायिक दृष्टांत डीएनजे 1999 वोल्यूम प्रथम पेज 56 व 134 तथा डीएनजे 1998 वोल्यूम द्वितीय पेज 678, डीएनजे 2001 पेज 204 प्रस्तुत किये गये।

बहस पर मनन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया साथ में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का सम्मानपूर्वक अध्ययन किया गया । जमींदारी एवं बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 के तहत रैफरेंस का कोई प्रावधान नहीं है। यह एक विशिष्ठ विधि है किसी विशिष्ठ विधि में रेफरेंस का प्रावधान नहीं है। इन तर्को की पुष्टि आरआरडी 1992 पेज 170 व आरआरडी 1985 पेज 621 से होती है। उपजिलाधीश हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय में जमींदारी एवं बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम की धारा 29 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए निर्णय पारित किया गया है। इन बिन्दुओं का पूर्ण विवेचन पूर्व निर्णय दिनांक 02.12.98 प्रकरण सं0 29/92 में किया गया है। रिव्यू का क्षेत्राधिकार सीमित होता है तथा पूर्व में निर्णित बिन्दु को रिव्यू के माध्यम से पुनः निर्णित नहीं किया जा सकता। सुनवाई के समय न्यायालय को निर्णय में किसी स्पष्ट गलती को देखा जा सकता है । निर्णय में Error Apparant On Face Of Record नहीं हो तो पुर्नावलोकन नहीं किया जा सकता। इस बाबत अप्रार्थीगण की ओर से आरआरडी 1990 पेज 100 व आरआरडी 1990 पेज 170 की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। जिनसे अप्रार्थीगण के तर्को की पुष्टि होती है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 02.12.98 को पारित निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है। जिसकी बाबत पुर्नावलोकन किया जा सके।

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

यह रिव्यू प्रा0पत्र दिनांक 02.12.98 को पारित निर्णय के विरूद्ध दिनांक 27.3.08 को प्रस्तुत की गयी है जो लगभग 9 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है। राज्य पक्ष की ओर से देरी से प्रार्थना पत्र पेश करने के पर्याप्त कारण नहीं बताये गये है। इसके संबंध में अभिभाषक अप्रार्थीगण ने न्यायिक दृष्टांत डीएनजे 1999 वोल्यूम प्रथम पेज 56 व 134 तथा डीएनजे 1998 वोल्यूम द्वितीय पेज 678, डीएनजे 2001 पेज 204 की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मियाद बाहर हैं। राजकीय अभिभाषक ने घोर विरोध करते हुए दिनांक 02.12.98 का आदेश शून्य होने के कारण रिव्यू प्रार्थना पत्र मियाद बाहर न होने का निवेदन किया गया।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.12.98 में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं है तथा ऐसी कोई स्पष्ट त्रुटि Error Apparant On Face Of Record नहीं है। एवं राज्य सरकार की ओर से यह प्रार्थना पत्र लगभग 9 वर्ष बाद प्रस्तुत करने के भी कोई पर्याप्त कारण अंकित नहीं किये गये हैं। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः प्रस्तुत तीनों रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किये जाते हैं। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में रखी जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार टिब्बी को भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज0)

(प्रकाश चन्द्र चौधरी)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़